UPAZ010055592026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय श्रीवास्तव, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(J.O. Code U.P. 2403)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2374/2026

संदीप कनौजिया उम्र लगभग 21 साल पुत्र शिवप्रसाद निवासी मकनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक- 10.07.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/ अभियुक्त **संदीप कनौजिया** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**266/2025** अन्तर्गत धारा- **137(2), 87 बी.एन.एस.** थाना **पवई,** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शिवप्रसाद द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना में वर्णित समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3- **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा अर्जुन द्वारा थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि वादी की पुत्री दिनांक 17.9.2025 को घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। काफी खोजबीन के बाद वह सभी जगह न ही रिश्तेदारी में पता करने पर कुछ भी पता नहीं चला है।

4- **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदक निर्दोष है, रंजिशवश अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है, दौरान विवेचना गलत ढंग से नाम प्रकाश में लाया गया है। आवेदक पीड़िता को कभी भी शादी के लिए बाध्य नहीं किया, न ही कभी धमकाया। पीड़िता अपनी मर्जी से घर से गयी और पुनः अपने घर लौट आई। पीड़िता अपने घर के दबाव प्रभाव में आकर बयान दी है। आवेदक के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता। आवेदक दिनांक 05.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसलाकर भगाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.07.10 16:26:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6- **वादी के विद्वान अधिवक्ता** के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाया गया है। सूचना पाकर वादी व उसके रिश्तेदारों ने भटनी मोड़ पर उसे पकड़ लिया, सूचना पर पुलिस उसे थाने ले गयी। थानाध्यक्ष, विवेचक व महिला आरक्षी ने अभियुक्त के प्रभाव में आकर पीड़िता को डरा धमकाकर अपने प्रभाव में लेकर उसका बयान दर्ज कराया है और उसी बयान के आधार पर अभियुक्त को छोड़ दिया। वादी तथा उसकी पुत्री ने पुलिस अधीक्षक, उच्चाधिकारीयो के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अपराध की विवेचना थाना पवई से ट्रांसफर होकर थाना फूलपुर स्थानांतरित की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी, वादी की पत्नी, पीड़िता व अन्य चश्मदीद स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य लिया। विवेचक ने सही तथ्यों को पाकर धारा 87 बी.एऩ.एस. की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त को जेल भेजा है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

7. वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया गया है कि उसकी पुत्री दिनांक 17.9.2025 को घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला है।

8. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि मैं दिनांक 17.09.2025 को अपनी मर्जी से बूढ़नपुर में मजार था, वहीं चली गयी थी। मैं वहीं पर रह रही थी। मैं अकेले ही गयी थी और मेरे साथ कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। मजार पर मेरे फूफा मुझे देखे तो मेरे पापा को बताये, फिर मैं थाने पर आई।

9. विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि मेरे ऊपर करतब (भूत प्रेत) हो गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। 17.09.2025 को 11 बजे दिन में मजार पर चली गयी थी। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। उसी दिन गयी थी। फूफा ने मजार पर देखा लिया तो पापा को 23.09.2025 को फोन कर दिया, तब वापस आ गये।

10- इस प्रकार पीड़िता के उपरोक्त बयानों के अवलोकन से पाया जाता है कि पीड़िता ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा स्वयं अपनी मर्जी से घर जाना कहा है। पीड़िता ने अपने उपरोक्त बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगाये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा तथा अन्य गवाहों के मजीद बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है किन्तु पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान में प्रार्थी/अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 05.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। संबंधित थाने द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास

प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह विदित होता हो कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत साक्षियों को प्रभावित किया जायेगा अथवा जमानत का दुरूपयोग किया जायेगा। प्रकरण के विचारण में समय लगना संभाव्य है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **संदीप कनौजिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/-**(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा तथा गवाह आने पर बिना किसी स्थगन प्रतिपरीक्षा पूर्ण करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक-10.07.2026

(अजय श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।